बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-344/2016 - 1803 /पटना, दिनांक– 28.3.17

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113 एवं अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, **पटोरी** के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पथ निर्माण की कुल **09** अद्द योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Chart- A

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Patori	Mohanpur	SC	PWD Ram Sevak Ray ke Ghar to Kumaiya Chapar Tak	11	0.435	1793	30.450
2	Patori	Mohanpur	SC	Prakhand Mor Dih to Anuschit Jati Tola Tak	18	0.495	635	33.840
			Total			**0.930**		**64.290**
3	Patori	Mohiuddin Nagar	SC	Dubaha Mukhya Path Ritesh Master to jhamana Paswan Tola Tak	5	1.310	3132	84.540
			Total			**1.310**		**84.540**
4	Patori	Patori	SC	Tara Dhamaun Hanuman Mandir to Yadav Tola	21	0.715	921	52.530
5	Patori	Patori	SC	Jogi Chauk to Balha Harijan Tola	19	1.600	1025	108.230
6	Patori	Patori	SC	Darba Pani Tanki to Harijan Tola Tak	1	1.060	5292	68.640
			Total			**3.375**		**229.400**
7	Patori	Vidyapati Nagar	SC	Mukhya Sadak to Mohandalit tola Tak	40	1.210	450	80.940
8	Patori	Vidyapati Nagar	SC	Bahadurpur to Maniyarpur Jane Wali Sadak to Kancha Madarsa Mukhya Sadak Tak	15	0.930	1237	55.500
9	Patori	Vidyapati Nagar	SC	Madva Tola to Jagat Narayan Shah ke Ghar Tak	18	0.350	1200	24.170
			Total			**2.490**		**160.610**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 11.03.2017 को निम्न शर्तो के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **पटोरी** योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **पटोरी** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **पटोरी** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Biding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यो का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

6. कार्यो का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113 एवं अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **पटोरी** द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

11. इन योजनाओं की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2017 को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-344/16 के पृष्ठ–12/टि0 पर प्राप्त है।

12. इस योजना मद् में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53/2007–96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।

16. संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-344/16 के पृष्ठ–12/टि0 पर दिनांक 11.03.2017 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-344/16 पृष्ठ संख्या–...13... /टि0 पर दिनांक ...24.3.17... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24.3.17

(संजय कुमार)

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-344/16 – 1803 /पटना, दिनांक– 28.3.17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/उपविकास आयुक्त, समस्तीपुर /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, पटना/मुख्य अभियंता–4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **पटोरी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभााग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/17

(संजय कुमार)